तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 03/2014 बअनवान स्वरूपसिंह बनाम सगतसिंह वगैरा
27.12.2022	पत्रावली पेश हुई। अपीलांटगण के अधिवक्ता श्री विमलेशकुमार पुरोहित एवं रेस्पोडेंटस अधिवक्ता श्री अब्दुल रहमान मेहर उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा व निषेधाज्ञा जारी करने बाबत प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 19.01.2011 को वादी की अदम जारी व अदम पैरवी में खारिज किया गया। वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.02.2021 को मूल वाद को रेस्टोर करने हेतु आवेदन पेश किया गया जो दिनांक 27.09.2011 को स्वीकार किया गया जबकि वादी ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने बाबत कोई कारण नहीं बताया है, जो भी कारण बताया है, वह कतई पर्याप्त कारण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.2011 में केवल वाद प्रत्यावर्तित करने का आदेश प्रदान किया है। वाद खारिजी का आदेश दिनांक 19.01.2011 को अपास्त करने का कोई आदेश प्रदान नहीं किया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.09.2011 विधि विरूद्ध व बिना क्षैत्राधिकार के भी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांटगण की अपील को स्वीकार फरमाया जावे। रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को पुनः रेस्टोर करने के आदेश न्यायहित में पारित किये गये तथा प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर हो चुका हैं इसलिए मूल वाद को रेस्टोर करने के आदेश के विरूद्ध अपील करने का कोई औचित्य नहीं है। अपील खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से आवेदन अंतर्गत आदेश 09 नियम 04 सी पी सी स्वीकार किया गया तथा मूल दावे का निस्तारण गुणावगुण पर हो चुका है। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई। मूल वाद अभी विचाराधीन है। आवेदन अंतर्गत आदेश 09 नियम 04 सी पी सी का स्वीकार किया गया जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी पेश की जा सकती है अपील मेंटेनेबल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर